पुनरीक्षण याचिका क्रमांक ......।२०१६
प्रस्तुति दिनांक १७-१०-२०१६

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, केम्प उज्जैन (म०प्र०) के समक्ष

उदेराम पिताश्री पन्नालाल,
आयु ६५ वर्ष, धंधा कृषि,
निवासी ग्राम चौबा पिपल्या
तहसील व जिला देवास (म०प्र०) --- पुनरीक्षणकर्ता / प्रतिप्रार्थी

विरूध्द

सुनिल पिता श्री गुलाबसिंह,
आयु वयस्क, धंधा कृषि,
निवासी ग्राम अखेपुर तहसील व
जिला देवास (म०प्र०)
हाल मुकाम डबलचौकी, तहसील
व जिला देवास (म०प्र०) --- प्रत्यर्थी / प्रार्थी

प्रार्थी अभिभाषक श्री ......
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 17-10-16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९

उपरोक्त पुनरीक्षण मे पुनरीक्षणकर्ता का नम्र निवेदन है कि -

पुनरीक्षणकर्ता व्दारा सदर पुनरीक्षण याचिका माननीय नायब तहसीलदार महोदय, तहसील न्यायालय टप्पा बरोठा तहसील व जिला देवास (म०प्र०) व्दारा प्रकरण क्रमांक १०।अ-१३।२०१४-१५ (सुनिल पिता गुलाबसिंह विरूध्द उदेराम पिता पन्नालाल) मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06-8-२०१६/व संशोधित आदेश दिनांक 13/9/16 से व्यथीत होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न वैधानिक तथ्यो एवम आधारो पर सादर निम्नानुसार प्रस्तुत करता है :-

उदेराम

प्रकरण के तथ्य

१- संक्षेप मे प्रकरण यह है कि प्रार्थी सुनिल पिता गुलाबसिंह निवासी ग्राम अखेपुर व्दारा प्रतिप्रार्थी उदेराम पिता पन्नालाल निवासी ग्राम चौबापिपल्या के विरूध्द म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १३१ व ३२ के तहत् आवेदनपत्र माननीय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3680–पीबीआर/16 जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–10–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–8–15 संशोधित आदेश दिनांक 19–9–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार द्वारा अंतरिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, अभी अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	